राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

प0 10(3)कार्मिक/क-2/75 पार्ट-II                    जयपुर, दिनांक: 29-10-2004

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स सहित)
सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

## परिपत्र

विषय:- विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के लिए प्रश्नावली ।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.6.96 के साथ विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचार करने के लिए निर्धारित प्रश्नावली में आवश्यक सूचना तैयार कर समिति के समक्ष रखने के निर्देश जारी किये गये थे । प्रश्नावली के साथ एक परिशिष्ठ-डी भी संलग्न किया गया था, जिसमें विचारण क्षेत्र में आने वाले अभ्यार्थियों के संबंध में वरिष्ठता सह पात्रता से संबंधित सूचना तैयार कर समिति को प्रस्तुत की जाती है ।

कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या प0 7(1)(कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 एवं दिनांक 8.4.2003 जारी कर समस्त सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि "ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । इसी प्रकार सेवारत कर्मचारियों के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि "ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है पांच वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों" । अतः उक्त सूचना विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष सही-सही प्रस्तुत हो, यह सुनिश्चित करने हेतु परिशिष्ठ-डी में एक नया कालम जोड़ा गया है, जिसमें कर्मचारी की सन्तानों की संख्या का विवरण दिया जाना है।

इसके अलावा कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. 7(1)(कार्मिक/क-2/98 दिनांक 5.8.1998 द्वारा विविध सेवा नियमों में पदोन्नति त्यागने के किये गये प्रावधान के अनुसार पदोन्नति त्यागने वाले कर्मचारियों को आगामी दो भर्ती वर्षों में पदोन्नति के लिये पात्र नहीं माना गया है । अतः इस संबंध में भी इस परिशिष्ठ-डी में नोट संख्या-5 में उनका विवरण दिया जाना संबंधित विभाग के लिए उपयोगी समझा गया है । यही नहीं वर्तमान परिशिष्ठ-डी में वर्णित कुछ बिन्दु वर्तमान समय में अप्रासंगिक एवं अनुपयोगी होने के कारण इन्हें विलोपित करना आवश्यक समझा गया है । इन्हीं कारणों से परिशिष्ठ-डी को अब संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।.

अतः इस परिपत्र के साथ संशोधित परिशिष्ठ-डी की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रश्नावली के साथ इस परिशिष्ठ-डी में वर्णित बिन्दुओं की समस्त सूचना स्पष्ट रूप से अंकित कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें उचित प्रकार से सम्पन्न हो सके ।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर ।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
5. रजिस्ट्रार, राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर।

शासन उप सचिव

P.T.O.

**Annexure - D**

SENIORITY –CUM-ELIGIBILITY LIST OF PERSONS WITHIN THE ZONE OF CONSIDERATION FOR PROMOTION TO THE POST OF ..........

| S. No. | Name of the Officer | Whether SC/ST | Date of birth | Qualification | Date of regular appointment to the post from which promotion is made. | Date of Urgent Temporary Appointment to the post to which promotion is proposed | Length of experience in completed years as on 1-4- | No. of living Children. | | Whether eligible for consideration? If not give reasons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | on 31.5.02 | After 31.5.02 | |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(a) | 9(b) | 10 |

Notes:-

1. This list has been made but strictly according to seniority list.
2. Reasons for non-eligibility of the senior person (s) have been given in Column No. 10.
3. Mention has been made of the person (s) whose seniority is under dispute or not yet finalised.
4. Person (s) having more than two children on or after 1st June,2002 are not eligible for consideration for promotion by this DPC as shown in Column No. 10. The rule is that a person having more than two children on or after 1st June,2002 shall not be considered for promotion for 5 recruitment years from the date on which promotion becomes due.
5. Name of persons debarred from consideration for promotion due to fore going promotion.
   1.
   2.
   3.
   4.

**Authorised Signatory**

20/04